37980 FINAL

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल रायसेन (म0प्र0)

जिला एवं न्यायालय के सामने सांची रोड रायसेन (म.प्र.)
E-mail - dfot.rsn@mp.gov.in (Phone & Fax No. 07482 - 222027)

क्रमांक / माचि / रायसेन, दिनांक /07/2019

प्रति,

SCO Reliance Jio Infocomm Ltd.
D.B. City, M.P. Nagar Bhopal

विषय :- उदयपुरा–गैरतगंज एवं घाटपिपलिया–नकतरा मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केवल लाईन बिछाने हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति बावत्।

सन्दर्भ :-1 इस कार्यालय का पत्र कमांक / माचि / 1140 दिनांक 11.07.2019 से प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/OFC/ 37980/2018)

2 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–11 / 2015 / 2637 दिनांक 28.10.2015

3 मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल का पत्र क्रमांक / माचि / 4135 दिनांक 08.07.2019

--- 00 ---

विषयांकित प्रकरण के संबंध में लेख है कि आप द्वारा रायसेन वन मण्डल के अंतर्गत उदयपुरा–गैरतगंज एवं घाटपिपलिया–नकतरा मार्ग के किनारे 0.8138 हेक्टेयर वन भूमि मे "राईट ऑफ वे" के अंतर्गत भूमिगत ओ.एफ.सी. केबल लाईन डालने की अनुमति के संबंध मे प्रस्ताव ऑनलाईन forestsclearance की बेबसाईट के माध्यम से प्रकरण क्रमांक / FP/MP/OFC/37980/2018 से पंजीबद्ध किया गया है उपरोक्त प्रस्तावित ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने हेतु रायसेन वन मण्डल के परिक्षेत्रो का निम्नानुसार वन क्षेत्र प्रभावित होगा।

परिक्षेत्र	कक्ष कमांक	प्रस्तावित ओ.एफ.सी लाईन की लम्बाई (मीटर मे)	प्रस्तावित ओ.एफ.सी लाईन की चौड़ाई (मीटर मे)	कुल क्षेत्र (हेक्टयर मे)
देवरी	RF-183	1322.00	0.50	0.0661
	RF-184	92.80	0.50	0.0046
पश्चिम सिलवांनी	RF-125	2259.00	0.50	0.1129
	RF-124	702.00	0.50	0.0351
	RF-123	2996.00	0.50	0.1498
गढ़ी	RF-98	2066.00	0.50	0.1033
	RF-115	269.30	0.50	0.0134
	RF-100	2233.00	0.50	0.1116
	RF-103	3275.00	0.50	0.1637
	PF-111	914.00	0.50	0.0457
पूर्व रायसेन	RF-380	150.00	0.50	0.0075
योग		**16279.10**	**0.50**	**0.8138**

ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने मे रायसेन वन मण्डल का कुल 0.8138 हेक्टेयर वनक्षेत्र प्रभावित होना है। तदउपरान्त मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल के पत्र क्रमांक / माचि / 4135 दिनांक 08.07.2019 से दिये गये निर्देशानुसार एवं प्रस्ताव का अनुमोदन उपरान्त निर्धारित शर्तो के अधीन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / माचि / 1140 दिनांक 11.07.2019 से प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है।

मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल लाईन बिछाने हेतु वन भूमि उपयोग पर देने के संबंध मे भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र क्रमांक / 11–9 / 98–एफ.सी दिनांक 16.10.2000 एवं म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 18.11.2004 एवं आदेश क्रमांक / एफ–5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 14.12.2005, पत्र क्रमांक / एफ–5–11 / 2006 / 10–3 दिनांक 31.05.2014 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–11 / 2015 / 2637 दिनांक 28.10.2015 एवं पत्र क्रमांक / एफ–11 / 2017 / 10–11 / 2586 दिनांक 01.09.2017 से निहित प्रावधान एवं प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार तथा मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल का पत्र क्रमांक / माचि / 4135 दिनांक 08.07.2019 से प्रकरण का अनुमोदन प्राप्त उपरान्त एवं

एन.पी.व्ही. की राशि के संबंध मे म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र0/एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12.09.2008 एवं भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/5–3/2007/एफसी दिनांक 05.02.2009 द्वारा प्रकरण मे कोई भी वृक्ष प्रभावित न होने की स्थिति मे एन.पी.व्ही. की राशि से प्रकरण मे छूट प्रदान की गई है। तथा म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन के आदेश क्रमांक/एफ–5–14/2005/10–3 दिनांक 30.07.2012 मे निहित प्रावधानानुसार प्रकरण के संबंध मे पंजीयन शुल्क 5000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क 25000/– कुल राशि 30000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदक विभाग द्वारा राज्य के राजस्व मद मे जमा कराया गया है जिसका यू.टी.आर क्रमांक MPT04061903201900016 दिनांक 19.03.2019 है। तदानुसार प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति मे अधिरोपित शर्तो के पालन मे राशि 100/– को ऑनलाईन जमा कर पालन प्रतिवेदन बेब पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त ''राईट ऑफ वे'' के तहत ऑप्टिकल फाईवर केबल लाईन बिछाने हेतु वन भूमि उपयोग की द्वितीय चरण की औपचारिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

शर्त कमांक–1

वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।

शर्त कमांक–2

उक्त कार्य केवल उपलब्ध मार्ग के किनारे ''राईट ऑफ वे'' के तहत किया जावेगा। ''राईट ऑफ वे'' से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है। उक्त केबल लाईन जंगल मे ''राईट ऑफ वे'' के बाहर नहीं डाली जावेगी।

शर्त कमांक–3

प्रस्ताव अनुसार ओ.एफ.सी केबल लाईन डालने हेतु खन्ती का आकार 2 मीटर गहरा एवं 0.50 मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा।

शर्त कमांक–4

पर्यावरण एवं वन्यप्राणियों के रहवास/आवास को कोई क्षति नहीं पहुचाई जायेगी तथा वन एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचती है तो आवेदक विभाग उसकी भरपाई करेगा।

शर्त कमांक–5

वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।

शर्त कमांक–6

समतलीकरण का कार्य आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जावेगा।

शर्त कमांक–7

समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यक हो तो वनक्षेत्र मे उत्खनन नहीं किया जावेगा, जिसकी पूर्ति अन्य स्थानों से की जावेगी।

शर्त कमांक–8

यद्यपि प्रस्तावित लाईन में वृक्ष नहीं आ रहे हैं फिर भी खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जायेगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ो को नहीं काटा जावेगा।

शर्त कमांक–9

यदि आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वन मण्डलाधिकारी रायसेन द्वारा निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से देय होगी तथा भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू0प्र0) म0प्र0 भोपाल, मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल एवं वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल रायसेन द्वारा अगर कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो वह सभी शर्ते आवेदक संस्थान को मान्य होगी।

शर्त कमांक–10

यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं इस कार्यालय द्वारा एन.पी.व्ही., पंजीयन शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क अथवा अन्य कोई भी शर्त अधिरोपित की जाती है तो आवेदक संस्थान उक्त शर्त को मानने के लिए वचनबद्व रहेगा।

उपरोक्त शर्तो का पालन करते हुए कार्य समाप्ति उपरान्त संयुक्त प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करे।

हस्ता०

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल रायसेन

पृ0क्रमांक / माचि / 1252 रायसेन, दिनांक 25/07/2019

प्रतिलिपि :—

1 म0प्र0 शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2 मुख्य वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

4 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक / एफ–5 / विविध / 2019 / 10–11 / 2391 दिनांक 23.07.2019 के संबंध मे सूचनार्थ सम्प्रेषित।

5 मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक / माचि / 4135 दिनांक 08.07.2019 के संबंध मे सूचनार्थ प्रेषित।

6 कलेक्टर जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उपरोक्त केबल लाईन डालने की स्वीकृति केवल वन भूमि के लिये ही जारी की जा रही है जो कि वन विभाग के अधिपत्य मे हैं यदि आवेदक संस्थान के द्वारा सही जानकारी न देते हुए राजस्व विभाग के अधीन वनक्षेत्र छोटे बड़े झाड के जंगल की खुदाई की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को सूचित करें ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विधिवत् कार्यवाही की जा सके।

7 उप वन मण्डलाधिकारी रायसेन / सिलवानी एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी देवरी, पश्चिम सिलवानी, गढ़ी एवं पूर्व रायसेन की ओर उनके स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि वह सुनिश्चित करें कि आवेदक विभाग उपरोक्त दर्शित शर्तो का उल्लंघन न करें तथा कार्य समाप्ति उपरान्त शर्तो के संबंध मे तथा उल्लेखित स्वीकृति के अनुरूप आवेदक विभाग द्वारा कार्य किया गया है अथवा नहीं से संबंधित संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल रायसेन

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल
27-7-19